झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ।

2. खनिज क्षेत्र विकास अधिनियम, 1986 की धारा 90 (4) (i) एवं (ii) का संशोधन।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम (संशोधन) विधेयक – 2011
[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावना :–

भारत गणराज्य के 62 वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1.) **संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ** :–

(i) यह विधेयक खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक – 2011 कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के क्षेत्रान्तर्गत सीमित रहेगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2.) **खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम – 1986 की धारा 90 (4) (i) एवं (ii) का संशोधन** :–

90 (4) इस अंश के वर्णित Main एवं Pipes में जलापूर्ति करने के एवज में प्राधिकार को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे :–

(i) कोलियरी के स्वामी को प्रति एक हजार गैलन जलापूर्ति के लिए कम–से–कम 75/– रू0 देना होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय–पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(ii) भू–स्वामी को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जलापूर्ति की जायेगी, जो 75/– रू0 प्रति एक हजार गैलन से अधिक नहीं होगी।

यह विधेयक खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 76--50--2-1-2012 ।